No. 65/PMT/store/Battery/2016/ 26

पुलिस महानिदेशक का कार्यालय

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF POLICE

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह

Andaman & Nicobar Islands

****

पोर्ट ब्लेयर Port Blair, दिनांक Dated, 02nd July, 2018

RE-TENDER NOTICE

Sealed quotations are invited for supply of the following charged automotive battery for the use of our departmental vehicle on as and when required basis as per the technical specification mentioned below. The tenderers may mention per unit rate for each item separately.

S. N	Type of Vehicles	Type of Battery	Volt & AMP/Hour
1.	Ambassador Car(New),Ciaz,SX4,Scorpio,Tavera, Toyota Qualis (New)/Bolero (New)/Camper	Plastic	12V 70 AH
2.	Ambassador Car (Old), Tata Sumo/Grand, Toyota Qualis (Old)/Bolero (Old)/Tata 207	Plastic	12V 80 AH
3.	Maruti Gypsy	Plastic	12V 35 AH
4.	Tata 407 (New)/Ashok Leyland (Comet)/Crane	Plastic	12V 100 AH
5.	Tata 407 (Old), Tata 709, Tata 712 Bus	Plastic	12V 120 AH
6.	Tata 1613/Tata 1512/ Tata communication Van	Plastic	12V 150 AH
7.	Tata 1210 Ashok Leyland	Plastic	12V 180 AH
8.	H/Honda Passion/Splendor, TVS Victor	Plastic	12V 2.5 AH
9.	Pulsar/ Bullet	Plastic	12V 9 AH
10.	H/Honda Passion Plus/Super Splendor	Plastic	12V 4 AH
11.	Hero Achiver	Plastic	12V 7 AH

Terms & Condition:-

1. Sealed quotations are invited for the above mentioned items. Quotation can also been downloaded from Andaman & Nicobar Administration website "**www.and.nic.in./ departmental website** and also in **eproc.andaman.gov.in** Quotation may be sent to this department by post addressing to Superintendent of Police, Police Motor Transport, Mohanpura, Port Blair, A& N Islands or drop in the tender box, kept in the office of Superintendent of Police (PMT) Police Head Quarter, Atlanta Point, Port Blair. Quotation received late or through FAX shall not be entertained. Quotation should reach the office on or before..01.../..08../2018 **at 1500Hrs.** and the same will be opened by the purchase committee on the same day at 1530 Hrs., in the presence of quotationers/tenders if any.

2. The rate quoted will be valid for one year. The firm shall supply the batteries within 07 days at PMT on as and when required basis after receipt of supply order by carrying out the proper charging i.e. initial charging (adding acid and distilled water) for uncharged battery etc.

3. The tender should be deposited along with **EMD of ₹10,000/-** in the shape of call deposit from any nationalized bank in favour of SP(PMT), Port Blair. Without EMD, tender will not be accepted. EMD will be return to the unsuccessful renderers after finalization of tenders. EMD of successful tenderers is to be returned after completion of one year.

4. The quotations under sealed cover super-scribing "Purchase of Charged Battery" and due for opening on 01.../..08../2018 on the cover addressed to the SP (PMT), Police Head Quarter, Atlanta Point, Port Blair. The DGP A & N Islands reserves the right to accept or reject any or all the quotation without assigning any reason thereof.

5. Rate: The suppliers shall furnish a certificate to this effect that the rates of the items charged are as per the manufactures price list and neither exceeds MRP nor not more than the rate as applicable to other government organizations.

6. Packing: The material under dispatch is packed suitably as per Marine/ Airport Transport norms so as to prevent any damage during transit. The transit insurance charges shall deemed to have been in the P/F charges and nothing extra on this account is payable.

7. Rate should be quoted inclusive of all taxes & transportation charges upto PMT, Mohanpura, Port Blair.

8. Batteries shall carry a warranty of at least 12 months from the date of supply to the department.

9. If the successful tenderer fails to supply the materials ordered in full within the specified period which will be indicated in the supply order, the EMD will be forfeited to Govt. and the department will be entitled to purchase such materials from some other source at the risk of the tenderers. The tenderer will also be liable to make good the loss, if any suffered by the department due to difference in rate.

10. Name of manufacturers, brand etc. should clearly be indicated in the tender. Failure to indicate such details may result in rejection of the tender.

11. The materials should be guaranteed against premature failure due to manufacturing defects or substandard material. In case of such premature failure the materials in question should be replaced free of charge.

12. All disputes arising out of this contract shall be subject to jurisdiction of Court at Port Blair.

13. The supplier from mainland should have valid Marine cargo insurance.

14. The service of the supplier should be available at Port Blair on as and when required basis.

15. No terms and condition other than as stipulated above will be entertained. Tender without acceptance of the terms and condition stipulated above is liable to be rejected.

Dy. Superintendent of Police (PMT)
For Director General of Police
Andaman and Nicobar Islands
Port Blair
2/7/18

Copy to:-

1. Notice Board PHQ through HI (PHQ)
2. Notice Board SP (D) A through R to SP (D) A
3. Notice Board PMT.
4. SI Tech. (PMT)
5. File Copy

सं:65/पु.मो.प./स्टेार/बैटरियों /2016/26

पुलिस महानिदेशक का कार्यालय

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF POLICE

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह

Andaman & Nicobar Islands

पुलिस मोटर परिवहन/ Police Motor Transport

* * * * *

पोर्ट ब्लेयर Port Blair, दिनांक Dated 02nd July, 2018.

टेंडर सूचना

पुलिस विभाग के वाहनों के प्रयोग के लिए चार्ज सहित निम्नलिखित बैटरियों की जब भी आवश्यकता हो के आधार पर, आपूर्ति हेतु मुहरबन्द कोटेशन आमंत्रित किए जाते हैं । प्रत्येक मद का प्रति इकाई मूल्य अलग से अंकित करें ।

क्र. सं.	वाहन के प्रकार	बैटरी का प्रकार	वोल्ट तथा एम्प /घंटा
1.	मारुति सीयाज, एस.एक्स.4, एमबसेडर कार(नया), स्कॉर्पियो/सेवर्ले ट्रवेरा/टोयोटा क्वालिस (नया), बोलेरा (नया)/कैम्पर	प्लास्टिक	12 वी. 70 ए.एच.
2.	एमबसेडर कार(पुराना),, टाटा सुमो/ग्रांडे टोयोटा क्वालिस(पुराना), बोलेरा(पुराना), टाटा 207,	प्लास्टिक	12 वी. 80 ए.एच.
3.	मारूति जिप्सी	प्लास्टिक	12 वी. 35 ए.एच.
4.	टाटा 407 (नया)/ अशोक लाइलैण्ड कॉमेट/केन	प्लास्टिक	12 वी. 100 ए.एच.
5.	टाटा 407 (पुराना), टाटा 709, टाटा 712 बस	प्लास्टिक	12 वी. 120 ए.एच.
7.	टाटा 1613, 1512,	प्लास्टिक	12 वी. 150 ए.एच.
8.	टाटा 1210 अशोक लाइलैण्ड	प्लास्टिक	12 वी. 180 ए.एच.
9.	हीरो हॉन्डा पैशन/स्पलेंडर, टी.वी.एस विक्टर	प्लास्टिक	12 वी. 2.5 ए.एच.
10.	पलसर /बुल्लेट	प्लास्टिक	12 वी. 9 ए.एच.
11.	हीरो हॉन्डा पैशन. प्लस/ हीरो हॉन्डा सुपर स्पलेंडर,	प्लास्टिक	12 वी. 4 ए.एच.
12	ळीरो अचिवर	प्लास्टिक	12 वी. 7 ए.एच.

नियम व शर्ते

1. उक्त वस्तुओं की आपूर्ति हेतु मुहरबन्द कोटेशन आमंत्रित किए जाते है। कोटेशन अण्डमान तथा निकोबार वेबसाइट '"www.and.nic.in./ departmental website तथा eproc.andaman.gov.in ' से भी डाउनलोड किए जा सकते है । कोटेशन डाक द्वारा पुलिस अधीक्षक, पुलिस मोटर परिवहन पोर्ट ब्लेयर, के पते पर अथवा पुलिस अधीक्षक, पुलिस मोटर परिवहन, मोहनपुरा, पुलिस मुखयालय पोर्ट ब्लेयर के कार्यालय में रखे टेंडर पेटी में स्वयं उपस्थित होकर जमा कर दें । निर्धारित तिथि के बाद अथवा फैक्स के माध्यम के प्राप्त कोटेशन स्वीकार नहीं किए जाएंगे । कोटेशन दिनांक 01./08/2018 को 1500 बजे तक इस कार्यालय में पहुँच जाना चाहिए जिसे उसी दिन 1530 बजे कोटेशनदाता/टेंडरदाता अथवा उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में, यदि हो, क्रय समिति द्वारा खोला जाएगा।

2. अंकित मूल्य कि वैधता इस कार्यालय द्वारा मूल्य स्वीकृति के दिन से एक वर्ष तक रहेगी । जब भी आवश्यकता हो के आधार पर जारी आपूर्ति आदेश प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर प्रतिष्ठान को बैटरियों को अच्छी तरह से प्रारंभिक चार्ज कर (एसिड तथा डिस्टिल्लड वाटर डाल कर) बिना चार्ज वाले हार्ड रबर बैटरी इत्यादि, आपूर्ति करना होगा ।

3. पुलिस उप अधीक्षक (पु.मो.प.), पोर्ट ब्लेयर के पक्ष में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से आहरित रू 10,000/-(रूपये दस हजार मात्र) का कॉल डिपाजिट के रूप में बयाना राशि संलग्न करना होगा। बयाना राशि के बिना जमा टेंडरों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। असफल टेंडरदाताओं के बयाना राशि टेंडर प्रक्रिया को अंतिम रूप देने के पश्चात लौटा दिया जाएगा । सफल टेंडर दाताओं के बयाना राशि को एक वर्ष की अवधि समाप्त होने के उपरांत ही लौटाया जाएगा ।

4. पुलिस उप अधीक्षक, मोटर परिवहन, मोहनपुरा (पु.मो.प.), पोर्ट ब्लेयर को संबोधित सीलबन्द कोटेशन के कवर पर बड़े व साफ अक्षरों मे **''चार्ज सहित बैटरियों की खरीद''** तथा टेंडर खोलने कि तिथि 01./08/2018 लिखा होना चाहिए । किसी भी अथवा सभी कोटेशनों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार पुलिस **महा निदेशक अंडमान तथा निकोबार द्वीप समुह** के पास सुरक्षित है ।

5. मूल्य : आपूर्ति कर्ता द्वारा एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि इस वस्तु के लिए अंकित मूल्य निर्माता के मूल्य सूची के अनुरूप है तथा यह राशि अधिकतम खुद्रा विक्रय मूल्य अथवा किसी भी अन्य सरकारी संगठन के लिए लागु मूल्य से अधिक नहीं है ।

6. <u>पैकिंग :</u> भेजे जा रहे वस्तुओं को मरीन/एयरपोर्ट परिवहन मानदण्डों के अनुसार पैक किया जाना चाहिए ताकि ढुलाई के दौरान कोई क्षति न हो । पारगमन बीमा प्रभार पैकिंग/अग्रेषण प्रभार के साथ शामिल माना जाएगा तथा इस मद के लिए अलग से कोई भुगतान नहीं किया जाएगा ।

7. अंकित मूल्य में वस्तुओं के पुलिस मोटर परिवहन तक सुरक्षित पहुचाने तक के सभी प्रकार के कर तथा परिवहन प्रभार शामिल होना चाहिए ।

8. विभाग को बैटरियों पर आपूर्ति किए जाने कि तिथि से 12 माह का वारंटी होना चाहिए ।

9. सफल टेंडरदाता यदि, निर्धारित अवधि के भीतर सभी वस्तुओं की आपूर्ति नही करता जिसके लिए आदेश दिया गया था, ऐसी परिस्थिति में उनके द्वारा जमा बयाना राशि सरकारी खाते में जब्त कर लिया जाएगा तथा विभाग के पास यह अधिकार होगा कि वे उन वस्तुओं की खरीद टेंडरदाता के जोखिम पर किसी अन्य श्रोत से करें । टेंडरदाता पर यह भी बाध्यता होगी कि वह मूल्य में परिवर्तन के कारण विभाग को हुए क्षति का क्षतिपूर्ति भी करें ।

10. टेंडर में बैटरी निर्माता का नाम तथा ब्रांड लिखा होना चाहिए, इस प्रकार के विवरण न देने कि स्थिति में टेंडर रद्द किया जा सकता है ।

11. गारंटी के अंतर्गत आपूर्ति किए जा रहे वस्तुओं पर निर्माण संबंधी अथवा अवमानक वस्तुओं के प्रयोग संबंधी त्रुटियों के कारण होने वाले किसी भी समयपूर्व खराबी शामिल होना चाहिए । निर्माण संबंधी त्रुटि अथवा अवमानक वस्तुओं के कारण समयपूर्व हुए किसी भी खराबी कि स्थिति में उक्त वस्तुओं को निशुल्क बदलना होगा ।

12. इस मामले में सभी विवादों का निपटान अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह के अधिकार क्षेत्र वाले न्यायालय में ही किया जाएगा ।

13- मुख्य भूमि से बैट्री उपलब्ध करवाने वालों के पास वैध समुंद्री कार्गो बीमा होना अनिवार्य है।

14- आवश्यकता अनुसार बैट्री उपलब्ध करवाने की सेवा पोर्ट ब्लेयर में होना अनिवार्य है।

15. उपरोक्त निर्धारित नियम व शर्तो के अतिरिक्त किसी अन्य शर्तो को नहीं माना जाएगा । उपरोक्त नियम व शर्तो को माने बिना जमा किए गए टेंडरो को रद्द किया जा सकता है ।

पुलिस उप अधीक्षक (पु.मो.प.)
कृते पुलिस महा निदेशक
अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह
2/7/18

<u>प्रतिलिपि :-</u>

1. सूचना पट्ट, पुलिस मुख्यालय, गृह निरीक्षक के माध्यम से ।
2. सूचना पट्ट, पुलिस अधीक्षक, जिला अण्डमान कार्यालय, पुलिस अधीक्षक (जिला अण्डमान) के रीडर के माध्यम से।
3. सूचना पट्ट पुलिस मोटर परिवहन।
4- उप निरीक्षक(तकनीक)
5. अतिरिक्त प्रति ।